



# मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR  
NAAC ACCREDITED 'A' GRADE STATE UNIVERSITY


क्रमांक: प. /सम्बद्धता/मोलासुवि/2020/673

दिनांक: 18-08-2020  
26

## आदेश


वित्त नियंत्रक महोदय के आदेश व महालेखापरीक्षा के आक्षेप पर माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 से सम्बद्धता शुल्क मय 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा कराये जाने का प्रावधान लागू किया जाता है।

इस संबंध में समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सम्बद्धता शुल्क सत्र 2017-18, 2018-19 व 2019-20 से मय की 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि विश्वविद्यालय में अविलम्ब जमा कराये जाने की पालना सुनिश्चित करावें। अन्यथा ऐसे समस्त महाविद्यालय का सत्र 2020-21 की सम्बद्धता अभिवृद्धि नहीं की जाएगी, जो जी.एस.टी. जमा नहीं कराएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की रहेगी।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, मोलासुवि, उदयपुर
2. परीक्षा नियंत्रक, मोलासुवि, उदयपुर
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आपके महाविद्यालय के सत्र 2017-18 से 2019-20 का जी.एस.टी. शुल्क विवरण संलग्न है।
4. परीक्षा नियंत्रक, मोलासुवि, उदयपुर
5. उप कुलसचिव (परीक्षा)/सामान्य/सम्बद्धता मोलासुवि, उदयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि निम्न महाविद्यालय की जमा सिक्योरिटी मनी एवं बैंक गारण्टी में से जी.एस.टी. की राशि का समायोजन कर ही जारी करें। (महाविद्यालयों की सूची संलग्न है।)

  
उप-कुलसचिव